

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009की धारा 12(1)(ग)
के अन्तर्गत गैर—सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स
पर प्रवेश, भौतिक सत्यापन व विद्यालयों की फीस
के पुनर्भरण के लिए दिशा—निर्देश
(सत्र 2021–22 से प्रभावी)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	3
2	आरटीई अधिनियम के अनुसार निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश प्रक्रिया	4–8
3	भौतिक सत्यापन प्रक्रिया	9–13
4	पुनर्भरण प्रक्रिया	14
5	परिशिष्ट :— 1.आदेश / परिपत्रों का सारांश 2.एन्ट्री कक्षा के संबंध में राज्य सरकार का आदेश 3.प्रवेश के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप 4.प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र का प्रारूप 5.प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी उदाहरण 6.सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न	15 16 17–18 19 20 21

अध्याय—1 : पृष्ठभूमि

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीट्स पर “दुर्बलवर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के बालक-बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है।

राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012–13 से प्रवेश दिये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुनर्भरण भी किया जा रहा है।

राज्य में लगभग 39,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित हैं। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पन्न करवाना, समय पर पुनर्भरण करवाना एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग करवाने का कार्य श्रमसाध्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुये सत्र 2013–14 से राज्य सरकार ने यह सम्पूर्ण कार्य ऑन लाइन किये जाने का निर्णय लिया।

स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा NIC के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण किया तथा सत्र 2013–14 से प्रवेश, भौतिक सत्यापन की मॉनिटरिंग व पुनर्भरण की प्रक्रिया को ऑन लाइन किया गया।

समस्त कार्यों को ऑन लाइन करने से अभिभावकों, विद्यालयों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों का कार्यभारतो कम हुआ ही साथ ही समस्त व्यवस्थाओं में पारदर्शिता भी स्थापित हुई। वर्ष 2018–19 में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों व अभिभावकों की सुविधा हेतु ऑनलाइन परिवेदना निस्तारण तंत्र भी प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2019–20 केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश, भौतिक सत्यापन व पुनर्भरण में अनुभव की गयी कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए आंशिक संशोधित दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।

ये दिशा-निर्देश गैर सरकारी विद्यालयों, माता-पिता एवं अभिभावकों तथा विभागीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दिशा निर्देश शिक्षा का अधिकार मूल अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम, 2011 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार किये गये हैं। (संलग्न परिशिष्ट-1) यदि इनमें और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश में कोई विसंगति लगे तो मूल अधिनियम/ नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश ही मान्य होंगे।

अध्याय—2:प्रवेश प्रक्रिया

1. एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश – निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। एंट्री कक्षा के सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/पीएसपी/आरटीई/बै.सू.का./60321/2019–20 दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 10 के तहत कार्यवाही करनी अनिवार्य होगी। जिसके अनुसार राज्य में स्थित प्रत्येक गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा केवल कक्षा—1 में आरटीई में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (PP3+/PP4+/PP5) में आरटीई में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। सत्र 2021–22 में PP5+ में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षा—1 में क्रमोन्नत करने के पश्चात् आरटीई नियमानुसार यदि कक्षा—1 में निःशुल्क प्रवेश हेतु सीट्स उपलब्ध हो तो ही उसमें इस सत्र हेतु आवेदन करने वाले बालकों की लॉटरी अनुसार वरियता के क्रम में नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

निःशुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में से जो बालक-बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टी.सी. ले जा चुके हैं उनके नामों को पोर्टल से हटाना होग। निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा—1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालक-बालिकाओं में से निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, परन्तु किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत निःशुल्क अध्ययनरत छात्र को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा।

कक्षा 1 की कुल प्रवेश क्षमता के सम्बन्ध में :— यदि किसी गैर-सरकारी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ (PP3+, PP4+, PP5+) संचालित हैं तो कक्षा 1 तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों का योग का औसत कक्षा—1 की कुल प्रवेश संख्या होगी। जिसका 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क सीट्स पर कक्षा—1 में प्रवेश देना अनिवार्य होगा। जिन गैर सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ संचालित नहीं हैं, उन विद्यालयों में कक्षा—1 एवं कक्षा—2 के विद्यार्थियों के योग का औसत कक्षा—1 की कुल प्रवेश संख्या होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता –आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :—

- 2.1 बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस-पास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए:—राज्य के आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्डतथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांवमें निवास करने वाले बालक-बालिकाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहाँ से वांछित संख्या में बालक-बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से सम्बन्धित शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिकाओं विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

- 2.2 बालक “दुर्बल वर्ग” या “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित होना चाहिए :—

2.2.1 दुर्बल वर्ग— राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No-21(19)Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 18 मई, 2020 के अनुसार “दुर्बल वर्ग” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(a) ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है।

2.2.2 असुविधाग्रस्त समूह—राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No-21(19)Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 18 मई, 2020 के अनुसार “असुविधाग्रस्त समूह” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(a) अनुसूचित जाति के बालक

(b) अनुसूचित जन जाति के बालक

(c) अनाथ बालक

- (d) एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता / संरक्षक के बालक
- (e) युद्ध विधवा के बालक
- (f) निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो।
- (g) पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50लाख रुपये या उससे कम है।
- (h) ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी.एल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची)में सम्मिलित है।

2.3 प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता:— एन्ट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार होगी:—

क्र.सं.	एण्ट्री लेवल कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1	First	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम

नोट—

- विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक-बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष **31 मार्च, 2021** को पूर्ण होनी चाहिए।

2.4 निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र:—बालक/अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल(6 माह से पुराना नहीं हो)/पानी का बिल(6 माह से पुराना नहीं हो)भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा परीसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी मान्य होगा। (परिशिष्ट-5 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में)

2.5 निःशुल्क प्रवेश हेतु “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित प्रमाण पत्र:—“दुर्बल वर्ग”एवं“असुविधाग्रस्त समूह” से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या केंसर से पीड़ित बालक/अभिभावक के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र द्वारा दी गयी रिपोर्ट मान्य होगी।

2.6 निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लियेदस्तावेज:— प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में—

- (क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख
- (ख) ऑगनबाड़ी अभिलेख और
- (ग) आधार कार्ड

उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये मान्य होगातथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा परन्तु प्रवेश के उपरान्त भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण—पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरान्त जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. प्रवेश का टाईम फ्रेम:-

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :-

क्र.सं.	विवरण / गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिशा-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	10 अप्रैल 2021 तक	संबंधित विद्यालय
3	संबंधित CBEO द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट की मोनेटरिंग करना	15 अप्रैल 2021 तक	संबंधित CBEO द्वारा
4	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	16 अप्रैल 2021 से 08 मई 2021 तक	संबंधित अभिभावक
5	ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना	11 मई 2021	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
6	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	12 मई 2021 से 16 मई 2021 तक	अभिभावकों द्वारा
7	आवेदन पत्रों की जांच करना	17 मई 2021 से 21 मई 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय
8	आवेदन पत्र में Correction की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना।	22 मई 2021 से 26 मई 2021 तक	अभिभावकों द्वारा
9	आवेदन पत्र में Correction की स्थिति में विद्यालय द्वारा जांच करना	27 मई 2021 से 31 मई 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय द्वारा
10	छात्र का ऑनलाइन चयन करना एवं छात्र द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर सहमति (YES) देना	01 जून 2021 से 10 जुलाई 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय एवं अभिभावकों द्वारा
11	05 जुलाई 2021 से 10 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन चयनित छात्रों द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर सहमति (YES) देना	05 जुलाई 2021 से 14 जुलाई 2021 तक	अभिभावकों द्वारा
12	शेष रिक्त रही आरटीई सीट्स पर पोर्टल द्वारा स्वतः ही आवंटन करना	15 जुलाई, 2021 को	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

नोट: 1. क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि “विज्ञापन जारी करना” के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साईट/स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड/सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पेम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके।

2. संबंधित विद्यालय/कार्यालय को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।
3. क्र.सं. 2 पर अंकित गतिविधि को संबंधित **CBEO** द्वारा अपने लॉगिन में देखा जा सकेगा तथा इसमें प्रदर्शित सभी गैर सरकारी विद्यालयों से विद्यालय प्रोफाइल पूर्ण करवाकर इसकी लिखित सूचना प्राप्त कर अपने पास संधारित करेगा। टाईम फ्रेम द्वारा निर्धारित अन्तिम दिनांक को समस्त विद्यालयों का विद्यालय प्रोफाइल, पोर्टल द्वारा लॉक हो जाएगा।

4. आवेदनकी प्रक्रिया:- अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

- 4.1 कोई भी अभिभावक अपने परिक्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए ही संचालित है उनमें क्रमशः केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों का प्रवेश ही संभव है।
- 4.2 सर्व प्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के सम्बन्ध में प्रत्रता सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं प्रविष्ट करनी होंगी। आवेदन में मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करना आवश्यक है।

- 4.3 सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होंगे। इस एप्लीकेशनआईडी पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगइन करना है तथा बालक व स्वयं के सम्बन्धमें विस्तृत सूचनाओं की एन्ट्रीएवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करने है।
- 4.4 अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाएँ प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र (Catchment Area) के **अधिकतम 05 इच्छित विद्यालयों का विकल्प भर सकता है।**
- 4.5 आवेदन के समय ही समस्त वांछित दस्तावेज अपलोड किये जायेगे। इस हेतु आवेदन फार्म के साथ फोटो, बालक का आयु प्रमाण—पत्र, अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण—पत्र, बालक का आधार कार्ड अथवा आधार पंजीयन रसीद, बालक/बालक के माता—पिता या संरक्षक के एचआईवी प्रभावित होने की रिपोर्ट, बालक/बालक के माता—पिता या संरक्षक के केंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट, बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण—पत्र, अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण—पत्र, बालक के अनाथ होने संबंधी घोषणा, बालक का निःशक्तजन संबंधित प्रमाण—पत्र के दस्तावेज नियमानुसार अपलोड करे।
- 4.6 टाईम फ्रेम अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व (फाईनल लॉक से पहले) अभ्यर्थी भरी गई सूचना में अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाईल नं० पर ओ.टी.पी. के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं साथ ही इसी अवधि में, अगर गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है तो सही दस्तावेज दुबारा से अपलोड कर सकते हैं। फाईनल लॉक के बाद बदलाव संभव नहीं होगा तथा अंतिम तिथि को शेष सभी को पोर्टल द्वारा स्वतः ही फाईनल लॉक कर दिया जायेगा।
- 4.7 बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रवेश हेतु वरियता क्रम का निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से किया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र में वरीयता क्रम इस प्रकार होगा:- 01. विद्यालय का वार्ड 02. कैचमेट एरिया में विद्यालय के संलग्नक वार्ड 03. कैचमेट एरिया में अन्य वार्ड।
- 4.8 लॉटरी से प्राप्त वरियता क्रम के अवलोकन के आधार पर अभिभावकों द्वारा ऑनलाईन रिपोर्टिंग की जाएगी। इस हेतु अभिभावक आवेदन पत्र में भरे गये 05 विद्यालयों के विकल्प में से केवल एक विद्यालय में ऑनलाईन रिपोर्टिंग करेंगे। आनलाईन रिपोर्टिंग हेतु बिन्दु संख्या 05 का अवलोकन करें।
- 4.9 गैर सरकारी विद्यालय को उनके विद्यालय में रिपोर्टिंग करने वाले छात्रों की सूची में विद्यार्थियों के आवेदन पत्र के साथ—साथ सभी अपलोड दस्तावेज भी प्रदर्शित होंगे। विद्यालय इन दस्तावेजों की जांच निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कर सकेगा। दस्तावेजों की जांच वरियता क्रम के आधार पर होंगे। यदि विद्यालय टाईम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में दस्तावेजों की जांच नहीं करता है तो शेष आवेदन मय दस्तावेज ऑटोवेरिफाईड माने जाकर ऑटोलॉक कर दिये जाएंगे। संबंधित विद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में दस्तावेजों को चैक कर के सही/गलत पाये जाने की स्थिति में (Accept/Correction) किया जायेगा तथा Correction की सूचना विद्यार्थी को SMS द्वारा तथा उसके आवेदन क्रमांक पर प्राप्त हो जायेगा।
- 4.10 Correctionकरने की स्थिति में विद्यालय को कारण लिखना होगा। छात्र को पुनः मौका दिया जायेगा कि वह अपने दस्तावेज में उक्त टिप्पणी अनुसार वांछित संशोधन कर अथवा बदलकर पुनः अपने दस्तावेज अपलोड करे,परन्तु किसी भी स्थिति में निवास स्थान का वार्ड नम्बर नहीं बदला जा सकेगा और न ही आवेदन पत्र में लिखित सूचना में कोई परिवर्तन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल सही दस्तावेज अपलोड करने हेतु दी गई है। संबंधित विद्यालय द्वारा पूर्व में Correctionमें की गई टिप्पणी के अनुसार बताई गई कमियों के आधार पर इन दस्तावेजों को चैक किया जायेगा सही पाये जाने की स्थिति में Acceptकिया जायेगा तथा गलत पाये जाने की स्थिति में Rejectकिया जायेगा। विद्यालय द्वारा टिप्पणी के अलावा अन्य

किसी कारण से छात्र का फॉर्म Reject नहीं किया जा सकेगा। इसकी सूचना छात्र को SMS द्वारा तथा उसके आवेदन क्रमांक पर प्राप्त हो जायेगी। (नोट:-SMS द्वारा दी जाने वाली जानकारी छात्रों की सुविधा के लिए है। छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय-समय पर अपडेट सूचना से सही जानकारी लेते रहे।)

- 4.11 विद्यालय द्वारा सःशुल्कविद्यार्थियों की एन्ट्री राज्य सरकार द्वारा जारी टाईमफ्रेम अनुसार की जा सकेगी। जेसे ही विद्यालय द्वारा सःशुल्कविद्यार्थियों की एन्ट्री की जायेगी, पोर्टल द्वारा स्वतः ही वरीयता क्रम में आने वाले RTEविद्यार्थियों को SMS द्वारा चयन की सूचना भेजी जायेगी। RTEविद्यार्थियों को अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन करने पर I accept to join as RTE student in allotted school पर Yes I accept to join अथवा No I withdraw my application (if select NO than you will not be able for RTE admission in this session)द्वारा सूचना प्राप्त होगी। छात्र द्वारा Yes टेब पर click करने पर छात्र का चयन विद्यालय में हो जायेगा तथा छात्र द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र मय दस्तावेज (जो आवेदन के समय अपलोड किये गये थे) की हार्ड कॉपी विद्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाई जायेगी। छात्र द्वारा No टेब पर click करने परछात्र वर्तमान सत्र में आरटीई प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में पोर्टल द्वारा नियमानुसार अगले छात्र का चयन कर SMS द्वारा चयन की सूचना भेजी जायेगी।
- 4.12 यदि छात्र किसी भी ऑपशन का चयन नहीं करता है तो निर्धारित टाईम फ्रेम अनुसार विद्यालय द्वारा इस ऑपशन को छात्र की उपस्थिति के आधार पर छात्र से भरवाना सुनिश्चित करना होगा। यदि इस के पश्चात् भी आपशन नहीं भरा जाता है तो निर्धारित टाईम फ्रेम अनुसार पोर्टल द्वारा आटोमेटिक ही छात्र को अनुपस्थित मानते हुए उसका आरटीई प्रवेश रद्द करते हुए उसके स्थान पर अगली वरीयता के छात्र का चयन किया जाकर SMS द्वारा चयन की सूचना भेजी जायेगी।
- 4.13 टाईम फ्रेम अनुसार उक्त निर्धारित दिनांक से 05 दिवस पूर्व जिन विद्यार्थियों को SMS द्वारा चयन की सूचना भेजी गई है उन्हे टाईम फ्रेम अनुसार Yes टेब पर click करने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- 4.14 निर्धारित टाईम फ्रेम अनुसार पोर्टल द्वारा सभी विद्यालयों के द्वारा प्रवेशित सःशुल्क विद्यार्थियों के अनुपात में निःशुल्क विद्यार्थियों की शेष सीटों के प्रवेश की प्रक्रिया वरीयता अनुरूप की जायेगी। उदाहरण के रूप में किसी विद्यालय में नियमानुसार दस निःशुल्क विद्यार्थियों का चयन होना चाहिए परन्तु विद्यालय में केवल आठ निःशुल्क विद्यार्थियों का चयन हुआ है (Yes/No टेब में से किसी भी ऑपशन का चयन नहीं करने पर) तो टाईम फ्रेम अनुसार निर्धारित तिथि को पोर्टल द्वारा वरीयता अनुसार उपलब्धता के आधार पर दो निःशुल्क विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, जिन्हे अनिवार्य रूप से उस विद्यालय में प्रवेश लेना होगा अन्यथा उनका प्रवेश इस सत्र में आरटीई के तहत निरस्त समझा जाएगा।
- 4.15 उक्त प्रकार से टाईम फ्रेम अनुसार निर्धारित दिनांक तक विद्यालयों में आरटीई नियमानुसार निर्धारित सीमा तक प्रवेश हो जाएगा। इस प्रकार जैसे ही छात्र द्वारा Yes टेब पर click किया जाएगा उसका प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। निर्धारित टाईम फ्रेम अनुसार अन्तिम दिनांक को पोर्टल द्वारा चयनित निःशुल्क विद्यार्थियों को भी निःशुल्क प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। (परिशिष्ट-7)
- 4.16 ऑनलाइन आवेदन के समय बालक/माता-पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाएँ सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें। इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है जिसका दायित्व संबंधित अभिभावक का होगा।
- 4.17 ऑन लाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गयी सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट लिया जा सकता है।

4.18 अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से “राजस्थान प्राइवेट स्कूल एप” डाउनलोड कर एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

5. विद्यालय में रिपोर्टिंग:-

5.1 केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया से प्राप्त वरियता क्रम के अवलोकन के आधार पर अभिभावकों द्वारा संबंधित इच्छित विद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाएगी। इस हेतु अभिभावक आवेदन पत्र में भरे गये 05 विद्यालयों के विकल्प में से केवल **एक विद्यालय** में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। इस हेतु उन्हें आवेदन क्रमांक के आधार पर लॉगिन कर आवेदित 05 विद्यालय में से किसी एक विद्यालय का चयन करना होगा। छात्र द्वारा किसी भी विद्यालय का चयन नहीं करने पर टाईम फ्रेम की निर्धारित तिथि के पश्चात् पोर्टल द्वारा स्वतः ही वरियता के आधार पर एक विद्यालय का चयन कर लिया जाएगा।

5.2 छात्र द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के आधार पर संबंधित विद्यालय द्वारा जब सःशुल्क विद्यार्थियों की एन्ट्री की जाएगी, तो नियमानुसार वरियता क्रम में आने वाले छात्र को निःशुल्क प्रवेश हेतु SMS द्वारा तथा उनके आवेदन क्रमांक से लॉगिन करने पर I accept to join as RTE student in allotted school पर Yes I accept to join अथवा No I withdraw my application (if select NO than you will not be able for RTE admission in this session) द्वारा सूचना प्राप्त होगी। छात्र द्वारा Yes टेब पर click करने पर छात्र का चयन विद्यालय में हो जायेगा।

5.3 वरीयता सूची निर्धारण हेतु निकाली गयी केन्द्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। इस सूची के आधारपर ही वरीयता से विद्यालयबालकोंको प्रवेश देंगे। विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट्स पर वरीयता सूची के सभी बालकों का विद्यालयमें प्रवेश हो यह आवश्यक नहीं है। निःशुल्क प्रवेश पैरा-8 में वर्णित रोस्टर प्रक्रिया से होगा।

6. आवेदन पत्रों की जांच:- गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी। दस्तावेजों की जांच वरीयता क्रम के आधार पर होगी। यदि विद्यालय टाईम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में दस्तावेजों की जांच नहीं करता है तो शेष आवेदन मय दस्तावेज ऑटोवेरिफाईड माने जाकर ऑटोलॉक कर दिये जाएगे। दस्तावेजों की वैधता के संबंध में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। विद्यालय आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चैक लिस्ट निम्नप्रकार है-

6.1 “दुर्बलवर्ग” के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज़:-

6.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50लाख रुपये तक होने का प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट-6 अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में)

6.1.2 बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

6.1.3 बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

6.2 “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज़:-

6.2.1 बालक / अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अथवाबालक / अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र अथवाअनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणाअथवा एचआईवी / कंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्टअथवा युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र अथवाविशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण पत्र (पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र सहित) अथवा बी.पी.एल.कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)

6.2.2 बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

6.2.3 बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

6.3 आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। लॉटरी दिनांक या उसके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। गत सत्रों के वार्षिक आय के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों के वर्तमान सत्र के लिए प्रस्तुत किये गये आय प्रमाण-पत्र वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक के मान्य होंगे।

6.4 अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई जानकारियों से सम्बन्धित दस्तावेज ही संलग्न करने हैं। ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज में उपलब्ध जानकारियों के भिन्न पाये जाने पर बिन्दु संख्या 4.9 व 4.10 में उल्लेखित प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। निःशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक द्वारा अपलोड किये गये किसी भी दस्तावेज के अपूर्ण/असत्य पाये जाने पर विद्यालय सम्बन्धित बालक का प्रवेश उक्त निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुसार निरस्त कर सकेगा। जिन अभिभावकों ने अपने निवास एवं विद्यालय का वार्ड/ग्राम समान होने का विकल्प चुना है, उनके निवास प्रमाण-पत्र की गहनता से जॉच कर इस तथ्य की पुष्टि कर लें, तथा यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो गलत सूचना दिए जाने के कारण आवेदन निरस्त होगा।

7. केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया :-

- 7.1 ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश हेतु वरीयताक्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए परिशिष्ट-3 का अवलोकन करें।
- 7.2 यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वरीयता सूची में विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर ऑन लाईन आवेदन करने वाले सभी बालकों के नाम सम्मिलित किये गये हैं। अतः यह प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची है, इसे प्रवेश के लिए चयन सूची नहीं माना जावे।
- 7.3 इस सूची का उपयोग पोर्टल द्वारा शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों के साथ सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया में किया जाएगा। वास्तविक चयन RTE विधार्थियों द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन करने पर Yes टेब पर click करने पर ही होगा। विद्यालय इस सूची को अपनी वेबसाईट/नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा एवं सभी अभिभावकों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी।
- 7.4 इस प्रकार 75 प्रतिशत प्रवेशित बालकों की विद्यालय द्वारा प्रवेश दिनांक को वेब पोर्टल पर एन्ट्री की जाएगी जिसके आधार पर पोर्टल द्वारा उक्त प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदित आवेदन पत्रों की वरियता अनुसार आरटीई हेतु विद्यार्थी का चयन कर उसे SMS जायेगा।

8. प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया :-

निःशुल्क प्रवेशित बालकों की केन्द्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रविष्ट बालकों की सूची को निम्नांकित रोस्टर के आधार पर तैयार किया जायेगा :-

1.निःशुल्क प्रवेश	11.सामान्य प्रवेश	21.निःशुल्क प्रवेश	31.सामान्य प्रवेश
2.सामान्य प्रवेश	12.सामान्य प्रवेश	22.सामान्य प्रवेश	32.सामान्य प्रवेश
3.सामान्य प्रवेश	13.निःशुल्क प्रवेश	23.सामान्य प्रवेश	33.निःशुल्क प्रवेश
4.सामान्य प्रवेश	14.सामान्य प्रवेश	24.सामान्य प्रवेश	34.सामान्य प्रवेश
5. निःशुल्क प्रवेश	15.सामान्य प्रवेश	25. निःशुल्क प्रवेश	35.सामान्य प्रवेश
6.सामान्य प्रवेश	16.सामान्य प्रवेश	26.सामान्य प्रवेश	36.सामान्य प्रवेश
7.सामान्य प्रवेश	17.निःशुल्क प्रवेश	27.सामान्य प्रवेश	37.निःशुल्क प्रवेश
8.सामान्य प्रवेश	18.सामान्य प्रवेश	28.सामान्य प्रवेश	38.सामान्य प्रवेश
9.निःशुल्क प्रवेश	19.सामान्य प्रवेश	29.निःशुल्क प्रवेश	39.सामान्य प्रवेश
10.सामान्य प्रवेश	20.सामान्य प्रवेश	30.सामान्य प्रवेश	40.सामान्य प्रवेश

कुल निःशुल्क प्रवेश—10

सामान्य प्रवेश – 30

- उपरोक्त रोस्टर एन्ट्री कक्षा के लिए 40 बालकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यहीं प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।
- 40 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिन्दु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे।

9.प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण कार्य की मॉनिटरिंग:-

निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्सपर प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि.) द्वारा की जाएगी।

अध्याय—3 :गैर—सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया

10. भौतिक सत्यापन हेतु कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य

10.1 सत्यापन दलों का गठन:-

- 10.1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) अपने—अपने परिक्षेत्र के गैर—सरकारी विद्यालयोंकी संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे।
- 10.1.2 दलों का गठन केवल उन्ही विद्यालयों के लिए किया जायेगा, जिनमे आरटीई की धारा 12(1)(g) के तहतनिःशुल्क सीट्स पर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह सूची डीईओ प्रा.शि./डीईओ मा.शि. के लॉगिन में उपलब्ध है।
- 10.1.3 सत्यापन दलों का गठन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक दल में शामिल दोनों सदस्यों का चुनाव एक ही विद्यालय से किया जाएगा। एक सत्यापन दल को अधिकतम 3 विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। पूर्व में गठित दल यदि किसी कारण से भौतिक सत्यापन करने में असमर्थ है तो परिवेदना के आधार पर दल को निरस्त करने एवं नवीन दल के ऑनलाइन गठन का अधिकार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी का रहेगा।
- 10.1.4 सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता/व.अ./अध्यापक/लिपिक वर्ग होगा।
- 10.1.5 प्रारम्भिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता लिए जा सकेंगे तथा शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्रारम्भिक विद्यालय/अध्यापक में से लिया जा सकेगा।
- 10.1.6 दल गठन के समय यथा सम्भव दल सदस्यों के पदस्थापन के ब्लॉक मेंही गैर—सरकारी विद्यालय सत्यापन हेतु दिये जायें।
- 10.1.7 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) अपने—अपने परिक्षेत्र के गैर—सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के ऑनलाइनpdfकिलर मेंStudent Profileभौतिक सत्यापन दल को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा।

10.2 विशेष सत्यापन दलों का गठन:-

- 10.2.1जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) अपने अधीन विद्यालयों के सेम्पल सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार अपने कार्यालय से विशेष सत्यापन दलों का गठन करेंगे।
- 10.2.2 यह विशेष सत्यापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का एक प्रतिशत अथवा 20 विद्यालय, जो भी अधिक हों, का अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे।
- 10.2.3 ये विशेष दल उन विद्यालयों का पुनः सत्यापन करेंगे जो सत्यापन दलों द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। निरीक्षण से पूर्व उन विद्यालयों की मूल सत्यापित रिपोर्ट को साथ लेकर जाएंगे तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाये जाने पर विशेष सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा मूल सत्यापन रिपोर्ट में लाल स्याही के पैन से आवश्यक संशोधन किये जाएंगे। उक्त संशोधन विद्यालय प्रति एवं कार्यालय प्रति दोनों में किये जाएंगे।
- 10.2.4 विद्यालय द्वारा विशेष सत्यापन दल द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट को ही आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा सम्बन्धित कार्यालय द्वारा उसी के अनुरूप इसका मिलान कर सत्यापन किया जाएगा।
- 10.2.5 विशेष सत्यापन दलों द्वारा उन विद्यालयों की भी पुनः जॉच की जायेगी जिन विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में परिवेदनायें प्राप्त हुई हैं।
- 10.2.6 विशेष जॉच दल द्वारा निरीक्षण किये गये विद्यालयों की सूचना की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से करनी है।

10.3 सत्यापन दलों का प्रशिक्षण :-

- 10.3.1जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा अपने—अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए गठित सत्यापन दलों का प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। बिना प्रशिक्षण के किसी भी सत्यापन दल को सत्यापन हेतु विद्यालय में नहीं भेजा जायेगा।
- 10.3.2 प्रशिक्षण के दौरान सत्यापन दलों को “दुर्बल वर्ग” व “असुविधाग्रस्त समूह” की परिभाषा, प्रवेश हेतु कैचमेंट एरिया, आयु पॉलिसी व एन्ट्री कक्षा एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जॉच के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

- 10.3.3 निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश की ऑनलाइन व विगत सत्रों की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सत्यापन दलों को दी जायेगी।
- 10.3.4 यह जानकारी इन दिशा-निर्देशों के आधार पर दी जायेगी। यह दिशा निर्देश प्राइवेट स्कूल वेब-पोर्टल <http://www.rajpsp.nic.in> पर उपलब्ध हैं।
- 10.3.5 सत्यापन दलों को सम्बन्धित विद्यालयों के नाम की सूची मय पता मोबाइल नम्बर, लैण्डलाइन नम्बर उपलब्ध करवायी जाएगी तथा सत्यापन दलों को भौतिक सत्यापन के दिशा-निर्देशों की एक-एक प्रति भी दी जाएगी।
- 10.3.6 जिले के आरटीई प्रभारी अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के फोन नम्बर भी सत्यापन दलों को उपलब्ध करवायें जायें जिससे सत्यापन दल आवश्यकता पड़ने पर जानकारी प्राप्त कर सकें।
- 10.4 **भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों को कार्यालय स्तर से सत्यापित करना :-**
- 10.4.1 भौतिक सत्यापन के दौरान सतत मॉनिटरिंग कर विद्यालयों से सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रविष्टि करवायी जाए।
- 10.4.2 जिन विद्यालयों के सत्यापन प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रविष्ट कर लॉक कर दिए जाएं उन प्रतिवेदनों की कार्यालय प्रति से मिलान करते हुए उन्हें तत्काल सत्यापित या असत्यापित कर दिया जाए।
- 10.4.3 सत्यापन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत समस्त बालकों के आधार नम्बर अथवा आधार नामांकन ऑनलाइन प्रविष्ट कर दिए गए हैं।
- 10.4.4 कार्यालय स्तर से निर्धारित तिथि तक सत्यापन प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने तथा विद्यालय के फीस पुनर्भरण से वंचित होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 10.5 **भौतिक सत्यापन का टाइम फ्रेम :-**

क्र.सं.	गतिविधि / कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
1	भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण	31 अगस्त, 2021 तक
2	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	01 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक
3	विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	01 सितम्बर, 2021 से 08 अक्टूबर, 2021 तक
4	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	01 सितम्बर, 2021 से 15 अक्टूबर, 2021 तक

नोट:-कार्यालय द्वारा सत्यापन रिपोर्ट के मिलान के दौरान रिजेक्ट की गयी रिपोर्ट को विद्यालय द्वारा सही प्रविष्ट कर अधिकतम 7 दिवस के अन्दर पुनः लॉक करना है। यदि विद्यालय तय अवधि में रिपोर्ट को लॉक नहीं करता है तो विभाग द्वारा इन बालकों की फीस का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

- आरटीई के भौतिक सत्यापन दल में बदलाव हेतु पूरे दल में ही बदलाव नहीं करते हुए केवल संबंधित अधिकारी/कार्मिक को ही बदलने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा आरटीई के अन्तर्गत यह कार्य जिशिअ कार्यालय के स्तर पर ही सम्पादित की जाए। इस प्रकार किये गये बदलाव की सूचना निदेशालय को ई-मेल से भिजवाई जाएगी।
- जिले के समस्त PEEO को पीएसपी पोर्टल का लॉगिन दिया जाएगा जिसमें उनके क्षेत्र की समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों का स्कूल प्रोफाईल तथा अन्य आवश्यक डेटा उपलब्ध रहेगा तथा PEEO भी उनके क्षेत्राधिकार के समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों की मॉनिटरिंग करेंगे तथा अनियमितताओं की सूचना जिला मुख्यालय पर उच्चाधिकारियों को करेंगे। इस हेतु आवश्यक नियमावली व विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशालय स्तर से जारी करवाये जायेंगे।
- राज्य के समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा नॉन आरटीई (कक्षा 1 से 12 तक) के विद्यार्थियों की पीएसपी पोर्टल पर एन्ट्री व ऑनलाइन टीसी जारी किया जाना अनिवार्य होगा। इसका निरीक्षण भौतिक सत्यापन के साथ ही किया जा सकेगा तथा जिशिअ स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में इसकी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी।

भौतिक सत्यापन हेतु दलों द्वारा किये जाने वाले कार्य :—

11 सत्यापन हेतु सामान्य निर्देश :—

- 11.1 विद्यालय प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपने लॉगिन से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की दो प्रतियों का प्रिंट आउट लेकर तैयार रखें। प्रिंट आउट लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं के सशुल्क बालक—बालिकाओं की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है तथा निःशुल्क छात्र भी प्रदर्शित हो रहे हैं।
- 11.2 भौतिक सत्यापन दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र मय संलग्नक व रिपोर्टिंग प्रपत्र, कैश बुक, रसीद बुक, बैंक पास बुक, एस.आर. रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर व पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों (केवल सामान्य, ओबीसी व एसबीसी वर्ग के लिए) के आय प्रमाण—पत्र तैयार रखें। आरटीई अधिनियम की धारा 12(3)के तहत उक्त समस्त सूचनायें विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना आधिकारी है।
- 11.3 सत्यापन दल, विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर ही विद्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन में पूर्व से भरी सूचनाओं व बालकों का भौतिक सत्यापन करेंगे। पीएसपी पोर्टल में रिपोर्ट मेनू में “आरटीई बालकों की संख्या के कक्षावार विवरण” में किसी विद्यालय की सत्र 2019–20 में वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों की सूचना प्राप्त हो रही है। (इसमें पूर्व सत्रों सहित वे आरटीई छात्र प्रदर्शित होते हैं जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं।) इसमें परिवर्तन किया जाकर इस मेनू का नाम “आरटीई छात्रवार एवं कक्षावार सम्पूर्ण सूचना” किया गया है। इसमें विद्यार्थीवार संलग्न सूचना पोर्टल द्वारा प्रदर्शित होती है। प्रोफाईल में वांछित सूचना जो आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। (यथा छात्र की फोटो) उसे निजी विद्यालय द्वारा पोर्टल पर भरा जायेगा। इस प्रारूप में संबंधित छात्रों की वर्तमान फोटो जो छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो विद्यालय द्वारा अपलोड की जायेगी।
- 11.4 भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति (Location), कक्षा स्तर (किस कक्षा तक), मान्यता, एप्ट्री कक्षा व आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जॉच करने के बाद ही इनको सत्यापित करें।
- 11.5 विद्यालय की स्थिति के संबंध में ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम), ग्राम पंचायत, ग्राम, वार्ड तथा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की गहन जॉच के बाद ही इन्हें सत्यापित करें। यदि विद्यालय के ग्राम/वार्ड अथवा ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय में परिवर्तन है तो यह परिवर्तन विद्यालय लॉगिन से ही सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन करते समय किया जा सकता है लेकिन यदि विद्यालय के ब्लॉक के नाम में परिवर्तन है तो रिपोर्ट ऑनलाइन प्रविष्ट होने के बाद डीईओ प्रा.शि./डीईओ मा.शि. के लॉगिन से रिपोर्ट सत्यापित करने से पूर्व यह परिवर्तन किया जाये तथा सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित डीईओ कार्यालय को भिजवाई जाये।
- 11.6 प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत है तो उस पर गोला करना है तथा उसके पास ही सही सूचना को अंकित करना है। सूचनाओं में परिवर्तन निरीक्षण प्रतिवेदन की दोनों प्रतियों में करने हैं।
- 11.7 इस प्रपत्र में पूर्व में भरे हुए डाटा में बदलाव से विद्यालय सहमत है। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस सत्र में प्रवेशित बालकों का पोर्टल पर यथानुसार परिवर्तन हो जायेगा, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उसे ज्ञात है कि इसमें दुबारा से बदलाव सम्भव नहीं है।
- 11.8 भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जायेगी और न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ सलंगन की जायेगी। भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकार्ड अवलोकित किया जाए प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जाए।
- 11.9 सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही सम्बन्धित संस्थाप्रधान/प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवायी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित डीईओ (प्रारम्भिक शिक्षा)/डीईओ (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करवायी जायेगी।
- 11.10 सत्यापन दल द्वारा उपलब्ध करवाये गये निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा तत्काल आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड करना है।

12 आधार कार्ड सत्यापन सम्बन्धी निर्देश :-

- 12.1 स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालक-बालिकाओं (वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित तथा पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत) के आधार कार्ड की फोटोकॉपी अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन रसीद की फोटोकॉपी लिया जाना अनिवार्य है।
- 12.2 जिन बालक-बालिकाओं के आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है, उन बालक-बालिकाओं को सत्यापित नहीं किया जाये परन्तु जिन बालक-बालिकाओं के आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी विद्यालय को शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है उन्हें अपात्र नहीं किया जाये। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में ऐसे बालक-बालिकाओं के कॉलम को रिक्त छोड़ दिया जाये।
- 12.3 यदि किसी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक-बालिकाओं में से कुछ के आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है तथा इनके शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है वह विद्यालय अपनी सत्यापन रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रविष्ट कर लॉक नहीं करें।
- 12.4 विद्यालय ऐसे बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त करने की कोशिश करें। यदि फोटोकॉपी सत्यापन रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्राप्त होती है तो विद्यालय के संस्थाप्रधान सत्यापन रिपोर्ट की विद्यालय प्रति एवं आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी को सम्बन्धित कार्यालय (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि.) में प्रस्तुत करेंगे।
- 12.5 सम्बन्धित कार्यालय में आरटीई प्रभारी द्वारा आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी का मिलान सत्यापन रिपोर्ट में बालक-बालिका के विवरण से किया जायेगा तथा विवरण सत्यापित होने पर सभी फोटोकॉपी पर आरटीई प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। इन बालक-बालिकाओं को सत्यापन रिपोर्ट की दोनों प्रतिओं (विद्यालय एवं कार्यालय प्रति) में सत्यापित फीस के पुनर्भरण योग्य किया जायेगा।
- 12.6 सत्यापन रिपोर्ट में आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन के सम्बन्ध में सभी बालक-बालिकाओं की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् ही विद्यालय द्वारा रिपोर्ट को ऑनलाइन कर लॉक किया जायेगा लेकिन यह कार्य सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व किया जाना अनिवार्य है।
- 12.7 सम्बन्धित कार्यालय प्रत्येक विद्यालय की सत्यापन रिपोर्ट को कार्यालय प्रति के आधार पर प्रमाणित (Verify) करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि रिपोर्ट में पात्र पाये गये बालक-बालिकाओं की आधार संख्या अथवा आधार नामांकन संख्या प्रविष्ट कर दी गई है।
- 12.8 यदि किसी बालक/बालिका के विद्यालय में उपलब्ध विवरण यथा बालक/बालिका का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक या पता, आधार कार्ड में दी गई सूचनाओं की तुलना में आंशिकरूप से भिन्न है तो इन बालक-बालिकाओं के प्रवेश को निरस्त नहीं किया जाए।
- 12.9 इन बालक-बालिकाओं के विवरण की आंशिक अशुद्धियों को आधार कार्ड के आधार पर बाद में सही कर दिया जायेगा यदि इन अशुद्धियों को सही करने से बालक/बालिका की पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

13 निःशुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की जांच सम्बन्धी निर्देश :-

- 13.1 निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक की पात्रता की जांच की जाए तथा पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य पाये गये बालकों को सत्यापित किया जाए। जो बालक प्रवेश हेतु अपात्र पाए जावें अर्थात् पुनर्भरण योग्य नहीं पाये जावें उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने हैं।
- 13.2 सत्यापन दल 25 प्रतिशत निःशुल्क एवं शेष 75 प्रतिशत सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जांच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्राप-आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे। सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों के आवेदन पत्रों व अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि ये बालक वास्तविक रूप से विद्यालय में अध्ययनरत हैं।
- 13.3 शैक्षिक सत्र 2020-21 में एन्ट्री कक्षा में निःशुल्क व सःशुल्क सीट्स पर नवप्रवेशित बालक-बालिकाओं की गहनता से जांच करें। यदि सत्यापन के समय निःशुल्क 25 प्रतिशत सीट्स पर दिये गये प्रवेश की तुलना में सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर कम संख्या में बालक-बालिकाएं अध्ययनरत पाये जाते हैं तो सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या के आधार पर ही 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर बालक-बालिकाओं को सत्यापित किया जाये। निःशुल्क सीट्स पर 25 प्रतिशत से अधिक संख्या में

प्रवेशित बालक—बालिकाओं में से वरीयता सूची में नीचे से बालक—बालिकाओं के प्रवेश को निरस्त किया जायेगा। यह व्यवस्था केवल वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही लागू होगी।

13.4 यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेशित बालक—बालिका प्रवेश के बाद लगातार विद्यालय में आ रहे हैं तथा इनका अन्यत्र किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है।

13.5 भौतिक सत्यापन दल अपने भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में निम्न दो सूचनाएं भी दर्ज करेगा। क्या आपको स्कूल/जिशिअ कार्यालय द्वारा pdf कलर में Student Profile दिया गया है। क्या आपने Student Profile में से प्रत्येक छात्र का मिलान कर लिया है।

14 विद्यालय की फीस की जाँच सम्बन्धी निर्देश :-

14.1 सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जाँच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे।

14.2 फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों यथा रसीद बुक, कैशबुक, बैंक पासबुक, फीस संधारण रजिस्टर एवं वाउचर पंजिका का निरीक्षण करेंगे। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात कर फीस की पुष्टि कर ली जावे।

14.3 फीस के समस्त रिक्त कॉलमों में फीस की प्रविष्टि करनी है। विद्यालय को यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं करने पर इस सत्र की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा परन्तु निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों को अपने स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य होगा।

14.4 सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से अथवा अभिलेखों का अवलोकन किये बिना ही फीस का आकलन कर राशि अंकित करने एवं पुनर्भरण की अनुशंसा करने पर गलत/अनियमित भुगतान होने की स्थिति में सत्यापन दल का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

15. सत्यापन दल द्वारा नवप्रवेशित बालकों के आवेदन पत्रों की जाँच :-

15.1 यह जाँच बालक के “दुर्बल वर्ग” या “असुविधाग्रस्त समूह” से सम्बन्धित होने, प्रवेश हेतु निर्धारित कैचमेन्ट एरिया के निवासी होने तथा प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता पूरी करनेके आधार पर की जायेगी तथा इनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाएगी कि प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं अथवा नहीं।

15.2 दल द्वारा जिन अभिलेखों का अवलोकन किया जाए उन पर लघु हस्ताक्षर भी किए जाएँ।

15.3 सत्यापन प्रतिवेदन दो प्रतियों में तैयार कर सत्यापन दिवस को ही एक प्रति विद्यालय को तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध करवा दी जाए। सत्यापन रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापन दल सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य है।

नोट:-स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.21(32) प्राशि/आयो./2017 पार्टा/जयपुर दिनांक 18.07.2019 के बिन्दु संख्या 3.3 में आरटीई की धारा 12(1)(g) के तहत गैर-सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों के भौतिक सत्यापन व सत्यापित बालकों की फीस के पुनर्भरण कार्य को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक कार्यालय को आवंटित किया गया है। अतः इन दिशा—निर्देशों का अध्याय—3 व 4 इस आदेश के अधीन रहेगा तथा आवश्यकता होने पर इस अध्यायों में संशोधन किया जाएगा।

अध्याय—4 : गैर—सरकारी विद्यालयों को फीस के पुनर्भरण की प्रक्रिया

16. पुनर्भरण प्रक्रिया:-

- 16.1 भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सत्यापन रिपोर्ट की विद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि तथा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन वेरिफाई किए जाने के बाद विद्यालय द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से पुनर्भरण हेतु दावा प्रपत्र (Claim Bill) जनरेट किया जाएगा।
- 16.2 दावा प्रपत्र पर विद्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मयसील करवाकर इसकी दो हार्ड कापी सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य. शिक्षा) कार्यालयमेंरजिस्टर्ड ए.डी. डाक से प्रेषित करनी होगी। प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड डाक प्रेषण की दिनांक व क्रमांक ऑनलाइन फीड किये जाएंगे।
- 16.3 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य. शिक्षा) कार्यालय इसप्रकार रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त क्लेम बिल का एक अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित करेंगे।
- 16.4 विद्यालय क्लेम बिल जनरेट करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि उसे निःशुल्क भूमि/भवन/उपस्कर आदि में से कुछ आवंटन निःशुल्क/रियायती दरों पर प्राप्त हैं तो ऐसे निःशुल्क/रियायती दरों पर आवंटन के आदेश में विद्यालय जितने बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की शर्त के अध्याधीन है, उसे उतने बालकों के संबंध में प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। अतः मांग की राशि में से उक्त बालकों की संख्या के आधार पर बनने वाली प्रतिपूर्ति की राशि को घटाकर शुद्ध मांग की जायेगी।
- 16.5 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य. शिक्षा) कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त दावा प्रपत्रों(Claim bill) के आधार पर भुगतान स्वीकृति आदेश (Pass order) बना कर ट्रेजरी के माध्यम से विद्यालयों के खातों में ऑनलाइन पुनर्भरण किया जाएगा।
- 16.6 प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण के लिए कार्यालयों को बजट का आवंटन निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण के लिए बजट का आवंटन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाएगा।
- 16.7 **उपयोगिता प्रमाण पत्र** :-प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण काउपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित किया जाएगा।

17. विद्यालयों को फीस के पुनर्भरण हेतु टाइम फ्रेम पृथक से जारी किया जायेगा

परिशिष्ट – 1(संदर्भित अध्याय–1)

आदेश/परिपत्रों का सांराश

- **विशेष आवश्यकता वाले बालकों का प्रवेश:**— विकलांगता से ग्रसित बालक-बालिकाओं को अधिनियम के प्रावधानानुसार अनिवार्यतः विद्यालय में प्रवेश दिया जाकर उनके लिए समुचित शैक्षणिक, वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने संबंधी आदेश दि.12.9.2011 को जारी किये गये।
- **विद्यालयों द्वारा बालकों से लिये जा रहे शुल्क के स्थान पर अनुदान/दान/चंदा/सहयोग के नाम से रसीदे काटना :**—25 प्रतिशत सीट्सपर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट अथवा विद्यालय द्वारा बालकों से ली जाने वाली फीस, जो भी कम हो का किया जाता है। अतः यदि विद्यालयों द्वारा अभिभावकों/बालकों से अनुदान/दान/चंदा/सहयोग आदि लिये जा रहे हैं तो यह राशि पुनर्भरण के योग्य नहीं मानी जायेगी।
- **अभिभावकों द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों के विद्यालय परिवर्तन के सम्बन्ध में :**—यदि कोई अभिभावक स्वेच्छा से अपने बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित करना चाहता है तो विद्यालय परिवर्तन होते ही वह बालक फीस के पुनर्भरण का पात्र नहीं माना जावेगा। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)
- **अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र लिया जाना :**—निःशुल्क प्रवेश के लिए असुविधाग्रस्त समूह एवं कमज़ोर वर्ग में सम्मिलित किये गये बालकों की एक श्रेणी अभिभावकों की वार्षिक आय (वर्तमान में रूपये 2.50 लाख या कम) के आधार पर निर्धारित की हुई है। आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय का प्रमाण पत्र लेना होगा तथा उस आय के आधार पर ही फीस के पुनर्भरण की पात्रता पर विचार किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र बालक के प्रवेश दिये जाने वाले दिनांक के पूर्व के वित्तीय वर्ष (1अप्रैल से 31 मार्च) की आय के संबंध में होगा (परिपत्र दि.19.10.2012 एवं दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2015–16 तक आय के आधार पर निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्हीं बालक/बालिकाओं का हुआ था जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये तक थी। इन बालक-बालिकाओं के लिए प्रतिवर्ष 2.5 लाख रूपये तक की वार्षिक आय का प्रमाण—पत्र लिया जायेगा और शैक्षिक सत्र 2017–18 से 2019–20 आय के आधार पर निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्हीं बालक/बालिकाओं का हुआ था जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये तक थी। अतः इन बालक/बालिकाओं के लिए प्रतिवर्ष 1.00 लाख रूपये तक का वार्षिक आय का प्रमाण—पत्र लिया जायेगा। शैक्षिक सत्र 2020–21 में आय के आधार पर निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्हीं बालक/बालिकाओं का होगा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये है। अतः इन बालक/बालिकाओं के लिए प्रतिवर्ष 2.50 लाख रूपये तक का वार्षिक आय का प्रमाण—पत्र लिया जायेगा।
- **निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्सपर प्रवेशित बालकों की पाठ्यपुस्तकों के संबंध में:**— राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक निर्धारित व्यय (यूनिट कॉस्ट) में पाठ्यपुस्तकों की कीमत सम्मिलित की गई है। अतः सम्बन्धित पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्सपर प्रवेश लेने वाले बालकों को पाठ्यपुस्तकों विद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँगी। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

परिशिष्ट –2(संदर्भित पेरा–4)

प्रवेश के लिए आवेदन—पत्र का प्रारूप

विद्यालय का नाम.....

आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्सपर “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों के प्रवेश हेतु
आवेदन—पत्र
(भाग—अ)

1. प्रवेशार्थी की सूचना:-

- 1.1 प्रवेश हेतु कक्षा
 1.2 प्रवेशार्थी का नाम.....
 1.3 लिंग
 1.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
 1.5 जन्म तिथि (अंकों में) / / (शब्दों में).....
 1.6 जाति वर्ग(SC/ST/OBC/SBC/GEN).....
 1.7 प्रवेशार्थी का धर्म

1.8 क्या प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) श्रेणी में आता है ?

2. प्रवेशार्थी के अभिभावक से सम्बन्धित सूचना:-

- 2.1 पिता का नाम..... 2.2 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
 2.3 माता का नाम..... 2.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
 2.5 संरक्षक का नाम (यदि लागू हो)..... 2.6 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
 2.7 क्या अभिभावक (BPL) श्रेणी के अन्तर्गत आते है ?
- 2.8 संरक्षक / अभिभावक (परिवार) की कुल वार्षिक आय (रूपये में) –
 2.9 माता/पिता/संरक्षक का मोबाइल नं.
- 3. माता/पिता/संरक्षक का पूरा पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार):-

 ग्राम का नाम/वार्ड नं. पिन कोड
 ग्राम पंचायत या नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम
 ब्लॉक जिला.....

4. प्रवेशार्थी का वर्ग(संबंधित बॉक्स में ✓ करें):-

4.1 दुर्बल वर्ग

4.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है।

4.2 असुविधाग्रस्त समूह

4.2.1 अनुसूचित जाति

4.2.2 अनुसूचित जनजाति

4.2.3 बालक अनाथ आश्रम का निवासी है।

4.2.4 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक एचआईवी से प्रभावित है।

4.2.5 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक केंसर ग्रस्त है।

4.2.6 बालक की माता युद्ध विधवा है।

4.2.7 बालक निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में है।

विशेष आवश्यकता की श्रेणी.....

4.2.8 पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है।

4.2.9. बीपीएल एल क्रमांक..... केन्द्र/राज्य सूची.....

5. निवास के सम्बन्ध में विकल्प:-

बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।

क्या बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम(ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से बाहर का लैंकिन उस शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।

नोट :-1 आयु, जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

2. बालक/बालिकाकी आधार संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में आधार कार्ड बनवाया जाना अथवा आधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाया जाना शीघ्र सुनिश्चित करें तथा यह नम्बर विभाग द्वारा विद्यालय के करवाए जाने वाले भौतिक सत्यापन से पूर्व सम्बन्धित विद्यालय को उपलब्ध करवा दें।

3. ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के संलग्न दस्तावेजों से मिलान नहीं होने पर अथवा किसी दस्तावेज के अपूर्ण/गलत पाये जाने पर आवेदन पत्र/निःशुल्क प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. आवेदन के समय बालक की जन्म तिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज दिया गया है तो प्रवेश उपरान्त जन्म प्रमाण—पत्र बनवाकर विभाग द्वारा बालकों के भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध करवा दिया जाए।

प्रवेशार्थी

का फोटो

(भाग—ब)

माता/पिता/संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा

1. मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में प्रवेशार्थी व स्वयं केसम्बन्ध में दी गई समस्त सूचनाएँ सही हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि विद्यालय के नियमों/उप नियमों का सदैव पालन करूँगा/करूँगी।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक :हस्ताक्षर/अगृहे का निशान

(माता/पिता/संरक्षक)

परिशिष्ट –3(संदर्भित अध्याय— 2 का पैरा—8) प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण

उदाहरण— 1: एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित हैं तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :—

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में प्रवेश की क्षमता— 40
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्सकी संख्या— 10
3. ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र— 50
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन— 30
5. ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन— 20

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त सभी—50 आवेदन पत्र शामिल किये जाएँगे लेकिन विद्यालय जिस गांव में स्थित है, उस गाँव के 30 आवेदनों को सर्वप्रथम रैण्डम किया जाकर सूची तैयार की जाएगी तथा ग्राम पंचायत के अन्य गांव व ढाणी से प्राप्त शेष 20 आवेदनों को रैण्डम करने के बाद उस सूची में नीचे जोड़ा जाएगा। इस सूची में से ही वरीयता के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, यदि कोई बालक प्रवेश नहीं लेता है तो वरीयता सूची में से अगले बालक को प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित गांव के बालकों को निःशुल्क प्रवेश में वरीयता दी जाती है।

उदाहरण— 2 : एक निजी विद्यालय शहरी क्षेत्र केवार्ड संख्या 17 में स्थित है। इस शहरी निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) में कुल 45 वार्ड हैं, ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :—

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में सीट्स की संख्या— 60
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्सकी संख्या—15
3. शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र— 80
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से विद्यालय से संबंधित वार्ड सं. 17 से प्राप्त आवेदन— 10
5. शहरी निकाय के वार्ड सं. 17 के संलग्नक वार्ड (adjoining ward) की संख्या—3
6. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से वार्ड सं. 17 के संलग्नक वार्डों से प्राप्त आवेदन— 20
7. शहरी निकाय के अन्य समस्त 41 वार्डों से प्राप्त आवेदन— 50

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त सभी—80 आवेदन पत्र शामिल किये जाएँगे, लेकिन विद्यालय जिस वार्ड में स्थित है, उस वार्ड संख्या—17 के 10 आवेदनों को सर्वप्रथम रैण्डम किया जाकर सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद संलग्नक वार्डों के 20 आवेदनों को रैण्डम करने के बाद उस सूची में नीचे जोड़ा जाएगा तथा शहरी निकाय के शेष 41 वार्डों से प्राप्त 50 आवेदनों को रैण्डम करने के बाद उस सूची में अन्त में जोड़ा जाएगा। इस सूची में से ही वरीयता के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, यदि कोई बालक प्रवेश नहीं लेता है तो वरीयता सूची में से अगले बालक को प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित वार्ड के बालकों को निःशुल्क प्रवेश में वरीयता दी जाती है।

नोट: विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट्सपर प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाये जाने की स्थिति में भी विद्यालय के कैचमेन्ट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीट्सपर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परिशिष्ट –4

सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न –1 यदि किसी कारणवश निःशुल्क प्रवेशित बालक शैक्षिक सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ दे तो इसके पुनर्भरण का क्या होगा ?

उत्तर – गैर सरकारी विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित केवल उन्हीं छात्रों का पुनर्भरण होगा जो सत्र पर्यन्त अध्ययनरत रहा है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ने/टी.सी.लेकर अन्य विद्यालय में चले जाने/बिना टी.सी.लिये किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लेने/छात्र की मृत्यु हो जाने आदि कारणों से उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा हो, तो ऐसे छात्र की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा यह सत्यापन दल सुनिश्चित करेगा। सत्यापन दल यह भी आकलन करेगा कि विद्यालय से ड्राप आउट बालकों की फीस के पुनर्भरण पेटे कितनी राशि विद्यालय को भुगतान की जा चुकी है। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक सत्रारम्भ से 31 अगस्त के मध्य कभी भी उपरोक्त वर्णित कारणों से ड्राप आउट हुआ है तो विद्यालय को उस बालक के सम्बन्ध में प्रथम किश्त का तो पुनर्भरण होगा परन्तु द्वितीय किश्त का पुनर्भरण नहीं होगा।

प्रश्न –2 निजी स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु राज्य सरकार से क्या निर्देश है ?

उत्तर – बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्कूल भवन होना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि जो निजी शैक्षिक भवन 50 वर्ष तक पुराने हैं, उनके संबंध में प्रत्येक 3 साल में एक बार P.W.D.अथवा अन्य राजकीय उपकरण/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।

प्रश्न –3 यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित होता है तथा किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या उस विद्यालय को आरटीई के अन्तर्गत 25प्रतिशत सीट्सपर निःशुल्क प्रवेश देने हैं?

उत्तर – ऐसे विद्यालयों को भी 25 प्रतिशत सीट्सपर “दुर्बलवर्ग” व “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बालकों को निःशुल्क प्रवेश देने हैं, लेकिन इन विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण देय नहीं होगा।

प्रश्न –4 यह कैसे स्पष्ट हो कि कोई विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आता है तथा वह आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश के दायरे से बाहर है ?

उत्तर – राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29/30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएँ घोषित की जाती हैं। अतः इन विभागों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही विद्यालय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना जायेगा।

परिशिष्ट –5

वार्ड परीसीमन के कारण वार्ड परिवर्तित होने की स्थिति में संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनकर्ता का नाम
.....पुत्र/पुत्री श्रीद्वारा आवेदन क्रमांक
में भरा गया निवास स्थानका गांव/वार्ड संख्या
.....वर्तमान में पूर्ण रूप से सत्य है। वार्ड परीसीमन से पूर्व इस
निवास स्थान का गांव/वार्ड संख्याथा। इसमें किसी भी तथ्य को
छुपाया/घटाया या बढ़ाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ
नाम
पद
मोहर

हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी
नाम
पद
मोहर

परिशिष्ट –6

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु 2021–22

प्रारूप भाग—A

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....
पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह.....
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:—.....
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर).....(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भासाशाह नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोंतो से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:—(संबंधित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म नं 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि (.....) आदि से आय: रु.....	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान निकाय आदि से आय: रु.....
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय मजदूरी आदि से आय रु....	(4) मशीनरी किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय रु.....
(5) अन्य स्त्रोंतों से आय: रु.....	कुल वार्षिक आय: रु.....

मैं प्रमाणित करता/करती हुं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम.....

मय विद्यार्थी से संबंध.....

प्रारूप भाग—B

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण—पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थियां.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....को भली प्रकार से जानते हैं इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियां के पास आय का कोई अन्य स्त्रोंत नहीं हैं।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति का नाम.....

(पद नाम दिनांक मय मोर)

नोट:— (उत्तरदायी व्यक्ति यथा संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशाप करवाए।)

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति का नाम.....

(पद नाम दिनांक मय मोर)

प्रारूप भाग—C

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हुं कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की (जो भी लागू) समस्त स्त्रोंतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरे रु..... है। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही अस्तय लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तहर समझता हुं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग—IV (प्रमाणिकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम).....पिता/पति का नामआयु.....निवासीने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी
का नाम मय पद एवं सील

(कार्यालय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिशनर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर)

परिशिष्ट –7

निःशुल्क प्रवेश प्रमाण—पत्र

आपके बालक/बालिका (नाम) आधार
नम्बर पुत्र/पुत्री श्री का
शैक्षणिक सत्र में गैर सरकारी विद्यालय (नाम).....
..... में कक्षा 01 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के
अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग)के तहत प्रवेश किया गया है। विद्यालय
द्वारा बालक/बालिका को कक्षा—8 तक निःशुल्क अध्ययन करवाया जाएगा तथा
निःशुल्क अध्ययन एवं पाठ्य पुस्तकों हेतु फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया
जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रांशि/मांशि